राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, छत्तीसगढ़
भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

पर्यावास भवन, सेक्टर–19, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर (छ.ग.)
ई–मेल : seaccg@gmail.com

विषयः– **राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की दिनांक 30/09/2022 को संपन्न 427वीं बैठक का कार्यवाही विवरण**

——00——

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 427वीं बैठक दिनांक 30/09/2022 को डॉ. बी.पी. नोन्हारे, अध्यक्ष, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में समिति के निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लियाः–

1. डॉ. शैलेश कुमार जाधव, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
2. श्री एन.के. चन्द्राकर, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
3. श्री किशन सिंह ध्रुव, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
4. डॉ. मनोज कुमार चोपकर, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
5. श्री कलदियुस तिर्की, सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति

समिति द्वारा एजेण्डा में सम्मिलित विषयों पर निम्नानुसार विचार किया गयाः–

एजेन्डा आयटम क्रमांक–1: 426वीं बैठक दिनांक 29/09/2022 के कार्यवाही विवरण के अनुमोदन के संबंध में।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 426वीं बैठक दिनांक 29/09/2022 को संपन्न हुई थी। समिति को अवगत कराया गया कि बैठक का कार्यवाही विवरण तैयार किया जा रहा है, जिसे समिति के समक्ष शीघ्र प्रस्तुत किया जाएगा। उक्त स्थिति से समिति सहमत हुई।

एजेन्डा आयटम क्रमांक–2: गौण/मुख्य खनिजों एवं औद्योगिक परियोजनाओं संबंधी प्रकरणों के प्रस्तुतीकरण उपरांत पर्यावरणीय स्वीकृति / टीओआर/अन्य आवश्यक निर्णय लिया जाना।

1. **मेसर्स माही बिल्डर्स एण्ड डेव्हलपर्स (पार्टनर – श्री शैलेष तिवारी, मंदिर हसौद लाईम स्टोन क्वारी), ग्राम–मंदिर हसौद, तहसील–आंरग, जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2061)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 77623/2022, दिनांक 01/06/2022 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–मंदिर हसौद, तहसील–आंरग, जिला–रायपुर स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक

706/2, कुल क्षेत्रफल–4.05 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता– 6,00,000.769 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 20/09/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 427वीं बैठक दिनांक 30/09/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री शैलेष तिवारी, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत मंदिर हसौद का दिनांक 16/12/2020 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान विथ स्कीम ऑफ माईनिंग फॉर फस्ट फाईव ईयर एण्ड क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त–संचालक (ख.प्र.), संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के पृ. ज्ञापन क्रमांक 2461/खनि 02/मा.प्ल.अनुमोदन/न.क्र.04/2019(2) नवा रायपुर, दिनांक 18/05/2022 द्वारा अनुमोदित है।
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 250/ख.लि./तीन–6/2022 रायपुर, दिनांक 28/04/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 19 खदानें, क्षेत्रफल 29.856 हेक्टेयर है।
5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 250/ख.लि./तीन–6/2022 रायपुर, दिनांक 28/04/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, एनीकट एवं बांध आदि प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।
6. **एल.ओ.आई. का विवरण** – एल.ओ.आई. मेसर्स माही बिल्डर्स एण्ड डेव्हलपर्स पार्टनर श्री शैलेष तिवारी के नाम पर है जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक/1604/ख.लि./तीन–6/उ.प./2022 रायपुर, दिनांक 25/01/2022 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक है।
7. **भू–स्वामित्व** – भूमि खसरा क्रमांक 706/2 श्री ठाकुर रामचन्द्र जी स्वामी (नागरी दास) मंदिर ट्रस्ट अध्यक्ष/प्रबंध न्यासी मदन गोपाल अग्रवाल के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामी का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है। साथ ही श्री शैलेष तिवारी एवं श्री आशीष तिवारी के पार्टनरशीप डीड की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक के द्वारा बताया गया कि वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु दिनांक 28/09/2022 को आवेदन किया गया है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–मंदिर हसौद 1.7 कि.मी., स्कूल ग्राम–मंदिर हसौद 2 कि.मी. एवं अस्पताल मंदिर हसौद 2 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1.62 कि.मी. दूर है। नहर 127 मीटर दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 34,41,839 टन एवं माईनेबल रिजर्व 18,12,709 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 6,500 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जायेगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 31 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर है तथा कुल मात्रा 12,368.338 घनमीटर है। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 3 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	6,00,001.448
द्वितीय	6,00,001.039
तृतीय	6,00,000.769

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 5 घनमीटर प्रतिदिन होगी। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि खदान में विभिन्न क्रियाकलापों (जल छिड़काव, वृक्षारोपण) हेतु जल की आपूर्ति आसपास स्थित निष्क्रिय खदानों में एकत्रित जल एवं पेयजल की आपूर्ति समीप में स्थित अन्य खदान से किया जाना प्रस्तावित है। समिति का मत है कि पेयजल की आपूर्ति हेतु समीप में स्थित अन्य खदान से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 1,040 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का कुल क्षेत्रफल 6,500 वर्गमीटर क्षेत्र है, जिसमें से कुछ भाग पूर्व से उत्खनित है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का उल्लघंन है। अतः परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

16. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई है। शर्त कमांक VIII (i) के अनुसारः–

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years startIng from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

17. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि पूर्व में आवेदक मेसर्स मां शारदा मिनरल्स (प्रो.– श्री आशीष तिवारी, मंदिरहसौद लाईम स्टोन क्वारी) (एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 77308/2022) में आने वाली समस्त खदानों को क्लस्टर में शामिल करते हुए बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य दिनांक 01/10/2019 से 31/12/2019 के मध्य किया गया था। तत्समय बेसलाईन डाटा कलेक्शन की सूचना दी गई थी। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर द्वारा जारी प्रमाण पत्र में आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित खदानों में उक्त खदान का उल्लेख है। अतः आवेदित खदान उस क्लस्टर का भाग है, जिसके लिए ई.आई.ए. स्टडी पूर्व में की गई थी। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त एकत्रित बेसलाईन डाटा का उपयोग कर ई.आई.ए. रिपोर्ट तैयार किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है। उक्त हेतु समिति द्वारा सहमति व्यक्त की गई।

18. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया हैः–

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 250/ख.लि./तीन–6/2022 रायपुर, दिनांक 28/04/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 19 खदानें, क्षेत्रफल 29.856 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–मंदिर हसौद) का रकबा 4.05 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–मंदिर हसौद) को मिलाकर कुल रकबा 33.906 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।

2. समिति का मत है कि सामान्य स्थिति में 30 मीटर की गहराई तक ही उत्खनन कार्य मान्य होगा।

3. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों को क्रियान्वित कराने बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को लेख किया जाए।

4. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म को एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।

5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए. /ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–

   i. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.

   ii. Project proponent shall submit the NOC from forest department mentioning distance between mine lease boundary to forest boundary.

   iii. Project proponent shall submit the top soil management plan & incorporate the details in the EIA report.

   iv. Project proponent shall submit the agreement copy from nearest mine owner for uses of drinking water.

   v. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.

   vi. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.

   vii. Project proponent shall submit the affidavit for controlled blasting & incorporate in the EIA report.

   viii. Project proponent shall submit an affidavit stating that no harm, no damage and no contamination shall be committed to nearby water bodies.

   ix. EIA study shall be at minimum 12 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.

   x. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

xi. Project proponent shall undertake plantation (as far as possible fruit bearing species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall report to Authority regarding yearwise plantation. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.

xii. Project proponent shall submit a Cumulative Environment Impact Assessment Study (Air, Water, Noise, Soil, Traffic etc) of the mines located in the nearby area and Ecology of the buffer zone of study area and shall incorporate the same in the EIA report.

xiii. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.

xiv. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.

xv. Project proponent shall submit layout map with KML file earmarking 7.5 meter of mine lease periphery & previously mined out area in safety zone, calculation of mined out area and remedial measures for development of greenbelt in 7.5 meter wide all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. Project proponent shall incorporate the remedial measures for mining activity carried out in the past in safety zone.

xvi. Project proponent shall complete the restoration of 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintainance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.

xvii. Project proponent shall undertake plantation (as far as possible fruit bearing species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall report to Authority regarding yearwise plantation. The details to be submitted alongwith geotag photographs in the EIA report.

xviii. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintainance cost for atleast 5 years.

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

2. **मेसर्स सद्गुरू इस्पात प्राइवेट लिमिटेड, प्लॉट नं. 154, सेक्टर–एफ, ओ.पी. जिंदल इण्डस्ट्रियल पार्क पूंजीपथरा, ग्राम–पूंजीपथरा, तहसील–घरघोड़ा, जिला–रायगढ़ (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 800)**

ऑनलाईन आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी/ 63277/2021, दिनांक 11/05/2021 द्वारा टी.ओ.आर हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी/ 33391/ 2019, दिनांक 31/05/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रकरण क्षमता विस्तार का प्रकरण है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सेक्टर–एफ, ओ.पी. जिंदल इण्डस्ट्रियल पार्क पूंजीपथरा, ग्राम–पूंजीपथरा, तहसील–घरघोड़ा, जिला–रायगढ़ स्थित प्लॉट नं. 154, कुल क्षेत्रफल–2 हेक्टेयर में इण्डक्शन फर्नेस (एम.एस. इंगाट/बिलेट) क्षमता–57,321 टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर इण्डक्शन फर्नेस विथ सीसीएम (Through implementation of additional 2x10 MT and upgradation of existing 2x10 MT to 2x12 MT (final 4x12 MT) Induction furnace) क्षमता–1,48,000 टन प्रतिवर्ष करने के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। वर्तमान में स्थापित इकाई का विनियोग रूपये 7.80 करोड़ है। प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु परियोजना का विनियोग रुपए 8 करोड़ होगा।

पूर्व में एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 28/06/2021 द्वारा प्रकरण बी–1 केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ईआईए/ईएमपी रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ईआईए नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 3(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) जारी किया गया।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 20/09/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 427वीं बैठक दिनांक 30/09/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री रितेश अग्रवाल, डॉयरेक्टर एवं मेसर्स एनाकॉन लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड की ओर से श्रीकांत बी. व्यावेयर, वरिष्ठ पर्यावरण वैज्ञानिक उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का विवरण –**

   - पूर्व में राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक क्रमांक 542, दिनांक 22/07/2019 द्वारा इण्डक्शन फर्नेस (6 टन गुणा 1 नग एवं 8 टन गुणा 1 नग) (एम.एस. बिलेट) क्षमता – 30,000 टन प्रतिवर्ष से इण्डक्शन फर्नेस विथ सीसीएम (10 टन गुणा 2 नग) (एम.एस. इंगाट/बिलेट) क्षमता – 57,321 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई।

   - परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में जिन शर्तों का अनुपालन शेष है, उनका अनुपालन उद्योग प्रबंधन द्वारा

दिसम्बर 2023 के पूर्व पूर्ण कर लिये जाने बाबत् अण्डरटेकिंग प्रस्तुत किया गया है।

- एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर के ज्ञापन दिनांक 04/07/2022 द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत की गई है, जिसमें से कुछ शर्तों आंशिक पालन एवं कुछ शर्तों का अपूर्ण पालन होना बताया गया है।

- एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर के ज्ञापन दिनांक 04/07/2022 द्वारा प्रस्तुत पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन प्रतिवेदन में निरीक्षण दिनांक का उल्लेख नहीं है। समिति का मत है कि जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में किये गये निरीक्षण दिनांक के संबंध में जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में जिन शर्तों का अनुपालन शेष है, उनका अनुपालन उद्योग प्रबंधन द्वारा दिसम्बर 2023 के पूर्व पूर्ण कर लिये जाने बाबत् अण्डरटेकिंग प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि उक्त पालन नहीं किये गये शर्तों के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा किये जाने वाले कार्यों की जियोटैग फोटोग्राफ्स (Geotag photographs) सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. **जल एवं वायु सम्मति –**

- क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायगढ़ से इण्डक्शन फर्नेस (एम.एस. इंगाट/बिलेट) क्षमता – 57,321 टन प्रतिवर्ष हेतु जल एवं वायु सम्मति नवीनीकरण दिनांक 13/08/2021 को जारी की गई है, जिसकी वैधता दिनांक 01/09/2021 से 31/08/2023 तक की अवधि हेतु है।

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा वर्तमान में स्थापित इकाई हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से पूर्व में जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

3. **निकटतम स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी –**

- निकटतम आबादी ग्राम–पूंजीपथरा 900 मीटर एवं शहर रायगढ़ 19 कि.मी. की दूरी पर है। निकटतम रेलवे स्टेशन भूपदेवपुर 12.64 कि.मी. की दूरी पर है। वीर सुरेन्द्र साई एयरपोर्ट (झारसुगढ़ा एयरपोर्ट) 75 कि.मी. की दूरी पर है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1.4 कि.मी. दूर है। देवनमुण्डा नाला 1.1 कि.मी. एवं केलो नदी 7.22 कि.मी. की दूरी पर है।

- उर्दना आरक्षित वन 6.5 कि.मी., बारकछार आरक्षित वन 8.1 कि.मी., खरिडंगरी आरक्षित वन 8.3 कि.मी., तराईमल आरक्षित वन 800 मीटर, रेबो आरक्षित वन 6.2 कि.मी. एवं समारूमा आरक्षित वन 2.8 कि.मी. दूर है।

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

4. **रॉ–मटेरियल –**

Raw Material	Existing Quantity (TPA)	After Expansion Quantity (TPA)	Mode
Sponge Iron	55,256	1,47,349	By Road (through covered trucks)
CI/Pig Iron/ Heavy Scrap	12,185	32,493	
Ferro Alloys & Aluminium	622	1,683	
Ramming Mass and Refractory lining	89	237	
Total	**68,152**	**1,81,762**	

समिति का मत है कि रॉ–मटेरियल का स्त्रोत प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

5. **लेण्ड एरिया स्टेटमेंट –**

S.No.	Land use	Area (in ha)	Area (%)
1.	Built Up Area	5,364	26.82
2.	Paved Area	798	3.99
3.	Open Area	6,995	34.98
4.	Greenbelt	6,843	34.22
Total		**20,000**	**100**

6. **स्थापित एवं प्रस्तावित इकाईयों संबंधी जानकारी –**

Product	Existing		Proposed Capacity Addition	Ultimate Capacity After Expansion	
	Facility	Capacity (TPA)	Capacity (TPA)	Facility	Capacity (TPA)
M.S. Ingots/ Billet	10 MT X 2 Nos. Induction Furnace along with CCM	57,321	90,679	*12 MT X 4 Nos. Induction Furnace along with CCM	1,48,000
Note: *Upgradation of existing Induction Furnace 10 MT X 2 Nos. to 12 MT X 2 Nos. and proposed new Induction Furnace 12 MT X 2 Nos.					

7. **वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – वर्तमान में इण्डक्शन फर्नेस में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु फ्यूम एक्सट्रेक्शन सिस्टम के साथ बेग फिल्टर एवं 30 मीटर ऊंची चिमनी स्थापित है। क्षमता विस्तार के तहत् इण्डक्शन फर्नेस में मुवेबल संक्सन हुड (Movable Suction Hood) के साथ बेग फिल्टर (उन्नयन कर) एवं 30 मीटर ऊंची स्थापित चिमनी से पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन 30 मिलिग्राम/सामान्य घनमीटर से कम रखा जाना प्रस्तावित है। फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण हेतु जल छिड़काव किया जाता है। यही व्यवस्था प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु अपनाई जाएगी।

8. **ठोस अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था –**

Waste	Existing Quantity (TPA)	After Expansion Quantity (TPA)	Disposal Method
Defective Billets	1,800	5,648	Reused in own Induction Furnaces
Mill Scale	891	4,752	Sold to Ferro alloys/pelletization Plants
Slag	6,910	18,420	Grounded within premises for metal recovery / given to metal recovery units and/ or sent to Jindal Slag dumping yard
Refractory Waste	45	119	Given to recycler / landfill
Total	**9,646**	**28,939**	

9. **जल प्रबंधन व्यवस्था –**

- **जल खपत एवं स्त्रोत** – वर्तमान में परियोजना हेतु कुल 14 घनमीटर प्रतिदिन (घरेलू उपयोग हेतु 3 घनमीटर प्रतिदिन एवं कुलिंग हेतु 11 घनमीटर प्रतिदिन) जल का उपयोग किया जाता है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत परियोजना हेतु कुल 95 घनमीटर प्रतिदिन (घरेलू उपयोग हेतु 6 घनमीटर प्रतिदिन एवं कुलिंग हेतु 89 घनमीटर प्रतिदिन) जल का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। जल की आपूर्ति ग्राउण्ड वॉटर से की जाती है। घरेलू उपयोग हेतु भू–जल का उपयोग किया जाता है, वर्तमान में 14 घनमीटर प्रतिदिन हेतु सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त की गई है। यही व्यवस्था प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत अपनाई जाएगी। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत आवश्यक जल की आपूर्ति हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति लिये जाने हेतु आवेदन किया गया है। समिति का मत है कि स्थापित इकाई के उत्पादन में लगभग 3 गुणा क्षमता विस्तार किया जाना प्रस्तावित है। किन्तु परियोजना प्रस्तावक द्वारा जल उपभोग हेतु स्थापित इकाई से लगभग 7 गुणा अधिक जल का उपयोग किया जाना प्रस्तावित किया गया है। अतः उक्त के संबंध में स्पष्टीकरण मंगाया जाना आवश्यक है।

- **जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – औद्योगिक प्रक्रिया से दूषित जल उत्पन्न होता है। कूलिंग उपरांत प्राप्त दूषित जल को ठंडा कर पुनः कूलिंग हेतु उपयोग में लाया जाता है। वर्तमान में घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु सेप्टिक टैंक एवं सोकपिट निर्माण किया गया है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत घरेलू दूषित जल की मात्रा 4.8 घनमीटर प्रतिदिन होगी, जिसके उपचार हेतु 10 घनमीटर प्रतिदिन क्षमता का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना प्रस्तावित है। शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जाएगी।

- **भू–जल उपयोग प्रबंधन** – परियोजना स्थल सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के अनुसार सेफ जोन में आता है। जिसके अनुसार–

  (अ) वृहद एवं मध्यम उद्योगों को कम से कम 40 प्रतिशत दूषित जल का पुनःचक्रण एवं पुनःउपयोग किया जाना है।

  (ब) ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज हेतु अपनाई गई तकनीक यथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग / ऑर्टिफिशियल जल रिचार्ज के आधार पर भू–जल निकाले जाने की

अनुमति सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान है। अतः उद्योग को रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।

- **रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था** – उद्योग परिसर में वर्षा के पानी का कुल रनऑफ 7,503 घनमीटर प्रतिवर्ष है। वर्तमान में रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के अंतर्गत 2 नग रिचार्ज स्ट्रक्चर (लंबाई 3 मीटर, चौड़ाई 3 मीटर, गहराई 3 मीटर) निर्मित किया गया है। क्षमता विस्तार के तहत् रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के अंतर्गत अतिरिक्त 4 नग रिचार्ज स्ट्रक्चर (लंबाई 3 मीटर, चौड़ाई 3 मीटर, गहराई 3 मीटर) निर्मित किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था पश्चात् परिसर के पूर्ण रनऑफ को रिचार्ज किया जा सके तथा सभी रिचार्ज स्ट्रक्चर्स इस प्रकार निर्मित किए जाए कि इनमें समान मात्रा में वर्षा जल का बहाव हो सके।

10. **विद्युत आपूर्ति स्त्रोत** – परियोजना हेतु कुल 15 मेगावॉट विद्युत की आवश्यकता होगी, जिसकी जिंदल स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड द्वारा किया जाता है। वैकल्पिक व्यवस्था हेतु 4 नग 125 के.व्ही.ए. डी.जी. सेट का उपयोग किया जाएगा। डी.जी. सेट को एकॉस्टिक इंक्लोजर में स्थापित किया जाएगा।

11. **वृक्षारोपण** – हरित पट्टिका के विकास हेतु कुल क्षेत्रफल के 6843 वर्गमीटर (34.22 प्रतिशत) क्षेत्र में पौधे रोपित किया जाना प्रस्तावित है। समिति का मत है कि वृक्षारोपण हेतु पौधों, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों तक सुनिश्चित करते हुये मृत पौधों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाना आवश्यक है। साथ ही ओपन एरिया में भी हरियाली निर्माण किया जाना आवश्यक है।

12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान प्रस्तुत ले–आउट प्लान में वृक्षारोपण हेतु कुल क्षेत्रफल का 34.22 प्रतिशत क्षेत्र में वृक्षारोपण लगाया जाना प्रस्तावित किया गया है। समिति का मत कि वृक्षारोपण हेतु वर्तमान में स्थापित वृक्षारोपण क्षेत्र एवं प्रस्तावित वृक्षारोपण क्षेत्र (कुल क्षेत्रफल का कम से कम 50 प्रतिशत क्षेत्र) को ले–आउट प्लान में दर्शाते हुये के.एम.एल. फाईल सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

13. **ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण** :–

i. **जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी** – मॉनिटरिंग कार्य अक्टूबर 2020 से मई 2020 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 8 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर भू–जल गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 5 स्थानों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 8 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

ii. **मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पीएम, एसओ$_2$, एनओ$_2$ का सान्द्रण लेवलः–**

Concentration level (µg/m^3) of criteria pollutants			
Criteria Pollutants	**Minimum (µg/m^3)**	**Maximum (µg/m^3)**	**CPCB Standard (µg/m^3)**
$PM_{2.5}$	16.7	42.5	60
PM_{10}	42.2	89.0	100
SO_2	8.9	22.5	80
NO_2	15.9	30.8	80

iii. **परियोजना स्थल के आसपास जल स्त्रोतों की गुणवत्ता:**– ई.आई.ए. के Chapter-3 Description of environment में दर्शाये गये टेबल अनुसार क्लोराइडस, फ्लोराईट, नाइट्रेट्स, सल्फर, कार्बोनेट्स, आर्सेनिक, मर्करी, कैडमियम एवं अन्य रसायनिक तत्वों का सान्द्रण लेवल भारतीय मानक से कम है।

iv. **परिवेशीय ध्वनि स्तर:**–

Noise level - dB (A)			
Equivalent Noise level	**Minimum dB (A)**	**Maximum dB (A)**	**CPCB Standard dB (A)**
Day L_{eq}	47.6	62.3	75
Night L_{eq}	37.4	53.4	70

जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से कम है।

v. **पी.सी.यू. की गणना:**– भारी वाहनों / मल्टीएक्शल हैवी वाहनों को समाहित करते हुये ट्रैफिक अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार वर्तमान में 4,326 पी.सी.यू. प्रतिदिन एवं व्ही/सी अनुपात (V/C ratio) 0.28 है। प्रस्तावित परियोजना उपरांत 326.5 पी.सी.यू. की वृद्धि होगी। तत्पश्चात् कुल 4652.5 पी.सी.यू. प्रतिदिन एवं व्ही/सी अनुपात (V/C ratio) 0.31 होगी। विस्तार के उपरांत भी रॉ–मटेरियल / प्रोडक्ट्स के परिवहन हेतु सड़क मार्ग की लोड कैरिंग क्षमता निर्धारित मानक (Very Good) के भीतर है।

14. **वन्यप्राणी संरक्षण योजना** – 10 किलोमीटर की परिधि में हाथियों का आवागमन होना पाये जाने के कारण आवेदक संस्थान द्वारा क्षेत्र की वन्य प्राणी संरक्षण योजना तैयार कर, विधिवत् सक्षम प्राधिकारी (प्रधान मुख्य वन संरक्षक(व.प्रा.) सह मुख्य वन्यप्राणी) के अनुमोदन उपरांत प्रस्तुत किया जाए। वर्तमान में परियोजना प्रस्तावक द्वारा बायोलॉजिकल कन्सर्वेशन प्लान प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार वन्य प्राणी संरक्षण व्यवस्था एवं जन जागरूकता कार्यक्रम हेतु रूपये 8 लाख का प्लान प्रस्तुत किया गया है। इस संबंध में समिति का मत है कि वन्यप्राणीयों के संरक्षण हेतु प्रथम पांच वर्षीय योजना प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। जो कि प्रत्येक पांच वर्ष में उद्योग की आयु तक पुनःरीक्षित कर लागू की जाती रहेगी। समिति का मत है कि वन क्षेत्र के समीप उद्योग स्थापना से ईको सिस्टम को जितना सतत् आघात लगता है, उसकी भरपाई नहीं की जा सकती फिर भी प्रतिवर्ष प्रस्तावित राशि, कुल प्रोजेक्ट लागत को दृष्टिगत रखते हुये वन्यप्राणी संरक्षण कार्यों की आवश्यकता के अनुरूप हो। प्रस्तावित लौह उद्योग आरक्षित एवं संरक्षित वनों से घिरा हुआ है और यह वन, हाथियों तथा अन्य वन्य प्राणीयों के स्थायी आश्रय एवं रहवास स्थल है, जहां सदैव वन्यप्राणी आश्रय पाते हैं। किसी उद्योग की आयु कम से कम 30 वर्ष मानी गई है। इससे अधिक भी हो सकती है। यह उद्योग 24 घंटे और वर्षभर कार्यरत रहेगा। इसके फलस्वरूप पर्यावरण पर प्रभाव भी सतत् बना रहेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रारंभिक चरण में 5 वर्षों की वन्यप्राणी संरक्षण योजना तैयार कर प्रस्तुत की गई, उसके पश्चात् उद्योग की आयु (30 वर्ष) तक प्रत्येक 5 वर्ष में "पुनःरीक्षित वन्यप्राणी संरक्षण योजना" तैयार कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। ताकि वन्य प्राणीयों के रहवास वनों को, उद्योग के मिट्टी, जल, वायु, ध्वनि एवं प्रकाश के प्रदूषण जनित प्रतिकूल प्रभावों से एवं उद्योग

जनित अत्यधिक जैविक दबाव से संरक्षित किया जा सके। उद्योग जनित तापक्रम बढ़ने से जंगलों में आग लगने की घटनायें भी होती है।

वन्यप्राणीयों की समुचित सुरक्षा, संरक्षण, प्रबंधन एवं उनके रहवास का संरक्षण एवं प्रबंधन एक बार (one time) किये जाने वाला कार्य नहीं है और न ही यह केवल 5 वर्ष का कार्य है। बल्कि यह सतत् किये जाने वाले कार्य है और जब वन्यप्राणीयों का स्थायी रहवास औद्योगिक प्रदूषण से सतत् प्रभावित हो रहा हो तो और अधिक गहन वन्यजीव संरक्षण एवं प्रबंधन (Intensive Wildlife Conservation and Management) की सतत् आवश्यकता होती है। इसी तरह प्रदूषित वातावरण में उनके रहवास की भी गहन संरक्षण एवं प्रबंधन (Intensive Habitat Protection, Conservation & Management Plan) योजना की सतत् आवश्यकता होती है।

दीर्घ अवधि की वन्यप्राणी संरक्षण योजना के अभाव में दीर्घ अवधि की पर्यावरणीय स्वीकृति दिया जाना संभव नहीं होगा। प्रत्येक 5 वर्ष पूर्ण होने के एक वर्ष पूर्व आगामी 5 वर्षों के लिए "समुचित वन्यप्राणी संरक्षण प्रबंधन योजना" तैयार कर विधिवत् सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त कर संरक्षण योजना की राशि प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) एवं मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक, छत्तीसगढ़ से परामर्श उपरांत "राज्य कैम्पा मद (State CAMPA Fund)" में जमा की जाएगी। इस आशय का शपथ पत्र (Affidavit) परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत किया जाए। इसके पश्चात् ही आगामी कार्यवाही किया जाना संभव होगा।

15. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है कि उनके प्रस्तावित औद्योगिक गतिविधियों से–
    i. वन भूमि पट्टिका (Forest Land Scape) में किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न नहीं किया जावेगा।
    ii. वन प्रबंधन एवं वन्य प्राणी प्रबंधन में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करेगा।
    iii. कोई ऐसा कार्य नहीं करेगा जिससे स्थानीय ग्रामीणों की वन आधारित आजिविका प्रभावित होती हो।
16. लोक सुनवाई दिनांक 12/11/2021 प्रातः 11:00 बजे स्थान – बंजारी मंदिर के समीप का स्थल, ग्राम–तराईमल, तहसील–तमनार, जिला–रायगढ़ में संपन्न हुई। लोक सुनवाई दस्तावेज सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर के पत्र दिनांक 11/01/2022 द्वारा प्रेषित किया गया है।
17. उद्योग प्रबंधन द्वारा लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों एवं उनके निराकरण की दिशा में किये जाने वाले उपाय के संबंध में सारणीबद्ध प्रपत्र अंग्रेजी (tabular form in english) एवं जन सामान्य के सुविधानुसार सारणीबद्ध प्रपत्र हिन्दी (tabular form in hindi) में भी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
18. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई. आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation

				(in Lakh Rupees)
800	1%	8.0	Following activities at, **Village - Taraimal**	
			Eco Park Nirman	8.00
			Total	**8.00**

सी.ई.आर. के अंतर्गत "ईको पार्क निर्माण" के तहत् (आंवला, बड़ पीपल, नीम, आम, अर्जुन, बेल आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 300 नग पौधों के लिए राशि 75,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 1,60,000 रूपये, रख–रखाव के लिए राशि 5,65,000 रूपये, इस प्रकार कुल राशि 8,00,000 रूपये आगामी 3 वर्षों हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम तराईमल के अंतर्गत शासकीय भूमि (खसरा क्रमांक 37/2, क्षेत्रफल 5.808 हेक्टेयर में से 1 एकड़) के संबंध में उक्त सी.ई.आर. के अंतर्गत "ईको पार्क" के कार्य हेतु ग्राम पंचायत तराईमल द्वारा दिनांक 28/09/2022 को जारी अनापत्ति प्रमाण की प्रति प्रस्तुत की गई है।

समिति का मत है कि सी.ई.आर. का विस्तृत वर्षवार प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है, ताकि रोपित पौधों की सफलता सुनिश्चित हो सके।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. पूर्ण ले–आउट प्लान के.एम.एल. फाईल सहित प्रस्तुत किया जाए।
2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित शर्तों का पालन पूर्ण कर जियोटैग फोटोग्राफ्स (Geotag photographs) सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
3. जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में किये गये निरीक्षण दिनांक के संबंध में जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
4. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से पूर्व में जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
5. रॉ–मटेरियल का स्त्रोत प्रस्तुत किया जाए।
6. प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत आवश्यक जल की आपूर्ति हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त कर प्रति प्रस्तुत किया जाए।
7. स्थापित इकाई के उत्पादन में लगभग 3 गुणा क्षमता विस्तार किया जाना प्रस्तावित है। किन्तु परियोजना प्रस्तावक द्वारा जल उपभोग हेतु स्थापित इकाई से लगभग 7 गुणा जल का उपयोग किया जाना प्रस्तावित किया गया है। अतः उक्त के संबंध में कारण सहित स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाए।
8. सम्मति प्राप्त स्थापित क्षमता से उत्पादन की दशा में एवं क्षमता विस्तार उपरांत उत्पादन की दशा में कुल प्रदूषण भार की गणना कर (जल उपयोग की मात्रा, दूषित जल की मात्रा / गुणवत्ता, प्रदूषकों के उत्सर्जन की मात्रा एवं उत्पन्न ठोस अपशिष्टों की मात्रा) प्रस्तुत की जाए।
9. वृक्षारोपण हेतु वर्तमान में स्थापित वृक्षारोपण क्षेत्र एवं प्रस्तावित वृक्षारोपण क्षेत्र (कुल क्षेत्रफल का कम से कम 50 प्रतिशत क्षेत्र) को ले–आउट प्लान में दर्शाते हुये के.एम.एल. फाईल सहित प्रस्तुत किया जाए। साथ ही उद्योग परिसर के भीतर वृक्षारोपण हेतु पौधों, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5

वर्षों तक सुनिश्चित करते हुये मृत पौधों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किये जाने तथा ओपन एरिया में भी हरियाली निर्माण करने घटकवार एवं समयवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाए।

10. वन्य प्राणी संरक्षण हेतु प्रथम 5 वर्षीय विस्तृत योजना प्रस्तुत की जाए। वन क्षेत्र के समीप उद्योग स्थापना से ईको सिस्टम को जितना सतत् आघात लगता है, उसकी भरपाई नहीं की जा सकती फिर भी प्रथम 5 वर्षों हेतु यह राशि कुल प्रोजेक्ट लागत को दृष्टिगत रखते हुये वन्यप्राणी संरक्षण कार्यो की आवश्यकता के अनुरूप हो। अतः इस संबंध में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी एवं जैवविविधता संरक्षण) सह मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर अटल नगर से पुनःरीक्षित/जानकारी प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।

11. उद्योग की आयु (Life of Industry) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत किया जाए तथा इस आशय का शपथ पत्र (Affidavit) प्रस्तुत करे कि परियोजना प्रस्तावक उद्योग की आयु तक वन्यप्राणी संरक्षण योजना प्रत्येक 5 वर्ष में सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित कराकर प्रस्तुत करेंगे तथा निर्धारित राशि "राज्य कैम्पा मद (State CAMPA Fund)" में जमा करेगें।

12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया जावे कि उनके प्रस्तावित औद्योगिक गतिविधियों से –

    i. वन भूमि पट्टिका (Forest Land Scape) में किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न नहीं किया जावेगा।
    ii. वन प्रबंधन एवं वन्य प्राणी प्रबंधन में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करेगा।
    iii. कोई ऐसा कार्य नहीं करेगा जिससे स्थानीय ग्रामीणों की वन आधारित आजिविका प्रभावित होती हो।

13. विद्यमान फ्लोरा (Flora) एवं फौना (Fauna) के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रस्तुत किया जाए। साथ ही प्रदूषण भार का जैव–विविधता पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाए।

14. उद्योग प्रबंधन द्वारा लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों एवं उनके निराकरण की दिशा में किये जाने वाले उपाय के संबंध में सारणीबद्ध प्रपत्र अंग्रेजी (tabular form in english) एवं जन सामान्य के सुविधानुसार सारणीबद्ध प्रपत्र हिन्दी (tabular form in hindi) में भी प्रस्तुत किया जाए।

15. अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्र के संबंध में अधिसूचना की प्रति प्रस्तुत किया जाए।

16. जनसुनवाई के दौरान विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्रामीणों के समक्ष दिये गये आश्वासन को पूरा करने हेतु शपथ पत्र (Notarized Affidavit) प्रस्तुत किया जाए।

17. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को योग्यतानुसार रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized Affidavit) प्रस्तुत किया जाए।

18. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का वचन पत्र प्रस्तुत किया जाए कि उनके विरूद्ध इस परियोजना से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का नोटरी से सत्यापित शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु

परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

20. सी.ई.आर. का विस्तृत वर्षवार प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए। साथ ही छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी एवं जैवविविधता संरक्षण), सह मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर अटल नगर को पत्र लेख किया जाए।

3. मेसर्स राधे गोविन्द स्टील एण्ड एलॉयज प्राइवेट लिमिटेड, ओ.पी. जिंदल इण्डस्ट्रीयल पार्क, ग्राम–पुंजीपथरा, तहसील–तमनार, जिला–रायगढ़ (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 957)

ऑनलाईन आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी/ 42692/ 2019, दिनांक 17/09/2019 द्वारा टी.ओ.आर हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी/ 92510/ 2019, दिनांक 01/06/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत् प्लाट नम्बर 102, सेक्टर–ए, ओ.पी. जिंदल इण्डस्ट्रीयल पार्क, ग्राम–पुंजीपथरा, तहसील–तमनार, जिला–रायगढ़ स्थित कुल क्षेत्रफल – 2.39 हेक्टेयर में स्थापित एम. एस. इंगाट्स/बिलेट्स (थ्रू इण्डक्शन फर्नेस) क्षमता – 59,400 टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 1,48,000 टन प्रतिवर्ष (Through implementation of additional 2x10 MT and upgradation of existing 2x10 MT to 2x12 MT (final 4x12 MT) Induction furnace) हेतु आवेदन किया गया है। प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत् परियोजना का विनियोग रुपए 6.87 करोड़ होगा।

पूर्व में एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 1665, दिनांक 06/02/2020 द्वारा प्रकरण 'बी–1' कैटेगरी का होने के कारण भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ईआईए/ईएमपी रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ईआईए नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 3(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) मेटालर्जिकल इण्डस्ट्रीज (फेरस एण्ड नॉन–फेरस) हेतु जारी किया गया। तत्पश्चात् एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 563, दिनांक 23/06/2021 द्वारा टीओआर में संशोधन जारी किया गया।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 20/09/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 427वीं बैठक दिनांक 30/09/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री रितेश अग्रवाल, डॉयरेक्टर एवं मेसर्स एनाकॉन लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड की ओर से श्रीकांत बी. व्यावेयर, वरिष्ठ पर्यावरण वैज्ञानिक उपस्थित

हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का विवरण –**

   - एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 364, दिनांक 10/06/2019 द्वारा उद्योग को स्टील इंगाट्स/बिलेट्स (थ्रू इण्डक्शन फर्नेस) क्षमता – 30,000 टन प्रतिवर्ष से 59,400 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई थी।

   - एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर के ज्ञापन दिनांक 15/06/2022 द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत की गई है, जिसमें से कुछ शर्तों आंशिक पालन एवं कुछ शर्तों का अपूर्ण पालन होना बताया गया है।

   - परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में जिन शर्तों का अनुपालन शेष है, उनका अनुपालन उद्योग प्रबंधन द्वारा दिसम्बर 2023 के पूर्व पूर्ण कर लिये जाने बाबत् अण्डरटेकिंग प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि उक्त पालन नहीं किये गये शर्तों के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा किये जाने वाले कार्यों की जियोटैग फोटोग्राफ्स (Geotag photographs) सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. **जल एवं वायु सम्मति –**

   - क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायगढ़ से एलॉयज स्टील बिलेट्स/इंगाट्स क्षमता – 59,400 टन प्रतिवर्ष हेतु जल एवं वायु सम्मति नवीनीकरण दिनांक 14/02/2022 को जारी की गई है, जो दिनांक 10/02/2023 तक की अवधि हेतु वैध है।

   - वर्तमान में स्थापित इकाई हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से पूर्व में जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

3. **निकटतम स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी –**

   - निकटतम आबादी ग्राम–पुंजीपथरा 0.8 कि.मी., ग्राम–तुमिडीह 1.8 कि.मी., शहर रायगढ़ 18.6 कि.मी., प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं मिडिल स्कूल ग्राम–तुमिडीह 1.8 कि.मी. एवं रेलवे स्टेशन भूपदेवपुर 12.65 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राज्यमार्ग 1 कि.मी. दूर है। केलो नदी 6.5 कि.मी. दूर है।

   - तराईमल आरक्षित वन 0.3 कि.मी., रेबो आरक्षित वन 3.5 कि.मी., समारूमा आरक्षित वन 4 कि.मी., सुहई आरक्षित वन 5.9 कि.मी., बारकछार आरक्षित वन 6.9 कि.मी., उर्दना आरक्षित वन 7.8 कि.मी. एवं पजहर संरक्षित वन 0.3 कि. मी. दूर है।

   - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली

पॉल्युटेड एरिया, घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

4. **लेण्ड एरिया स्टेटमेंट –**

S. No.	Land Use	Existing Area as per EC (in sqm)	Proposed Change (in sqm)	Area after Expansion (in sqm)	Area (%)
1.	Covered Area	4473	+1302	5775	24.16
2.	Road Area	466	0	466	1.95
3.	Green Belt	6973	+1154	8127	34.00
4.	Open Area	8988	+544	9532	39.88
Total		**20900**	**+3000**	**23900**	**100**
Note- Additional 3000 sqm adjoining industrial land has been acquired.					

5. **रॉ–मटेरियल –**

Raw Material	Capacity (In TPA)	Mode
Sponge Iron	1,50,858	By Road (through covered trucks)
CI / Pig Iron / Heavy Scrap	32,493	
Ferro Alloys & Aluminum	1,683	
Rumming Mass & Refractory Lining	237	
Total	**1,85,271**	

समिति का मत है कि रॉ–मटेरियल का स्त्रोत प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

6. **वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – वर्तमान में इण्डक्शन फर्नेस में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु क्रुशिबल स्मोक हुड विथ डस्ट कलेक्टर के साथ बेग फिल्टर एवं 30 मीटर ऊंची चिमनी स्थापित किया गया है। प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु इण्डक्शन फर्नेसेस से पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन 30 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर से कम करने के उद्देश्य से इण्डक्शन फर्नेस में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु सेंट्रल डस्ट कलेक्शन सिस्टम के साथ उच्च दक्षता का बेग फिल्टर एवं 30 मीटर ऊंची चिमनी स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। फ्युजिटीव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण हेतु जल छिड़काव की व्यवस्था है। यही व्यवस्था प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु भी अपनाई जाएगी।

7. **ठोस अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था –**

Induction Furnace	Capacity (In TPA)	Disposal
Defective Billet	5,200	Reused in own induction furnace
Mill Scale	5,200	Will be partially reused in own induction furnace and remaining will be sold to ferro alloy / pellet plants
Slag	21,964	Grounded within premises for metal recovery / given to metal recovery units
Refractory Waste	119	Will be given to authorized recycler
Total	**32,483**	

8. **जल प्रबंधन व्यवस्था –**

- **जल खपत एवं स्त्रोत** – वर्तमान में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति अनुसार परियोजना हेतु कुल 35 घनमीटर प्रतिदिन (घरेलू उपयोग हेतु 3 घनमीटर प्रतिदिन, औद्योगिक उपयोग हेतु 30 घनमीटर प्रतिदिन एवं हॉर्टिकल्चर हेतु 2 घनमीटर प्रतिदिन) जल की खपत होती है। प्रस्तावित कार्यकलाप के पश्चात् परियोजना हेतु कुल 90 घनमीटर प्रतिदिन (घरेलू उपयोग हेतु 6 घनमीटर प्रतिदिन एवं औद्योगिक उपयोग हेतु 84 घनमीटर प्रतिदिन) का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। आवश्यक जल की आपूर्ति भू–जल से की जाती है। यही व्यवस्था प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु भी अपनाई जाएगी। वर्तमान एवं प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु ग्राउण्ड वॉटर उपयोग करने हेतु सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त किया गया है। समिति का मत है कि स्थापित इकाई के उत्पादन में लगभग 3 गुणा क्षमता विस्तार किया जाना प्रस्तावित है। किन्तु परियोजना प्रस्तावक द्वारा जल उपभोग हेतु स्थापित इकाई से लगभग 7 गुणा जल का उपयोग किया जाना प्रस्तावित किया गया है। अतः उक्त के संबंध में स्पष्टीकरण मंगाया जाना आवश्यक है।

- **जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – औद्योगिक प्रक्रिया से दूषित जल उत्पन्न होता है। कूलिंग उपरांत प्राप्त दूषित जल को ठंडा कर पुनः कूलिंग हेतु उपयोग में लाया जाता है। वर्तमान में घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु सेप्टिक टैंक एवं सोकपिट निर्माण किया गया है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत घरेलू दूषित जल की मात्रा 4.8 घनमीटर प्रतिदिन होगी, जिसके उपचार हेतु 10 घनमीटर प्रतिदिन क्षमता का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना प्रस्तावित है। शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जाएगी।

- **भू–जल उपयोग प्रबंधन** – परियोजना स्थल सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के अनुसार सेफ जोन में आता है। जिसके अनुसार–

  (अ) वृहद एवं मध्यम उद्योगों को कम से कम 40 प्रतिशत दूषित जल का पुनःचक्रण एवं पुनःउपयोग किया जाना है।

  (ब) ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज हेतु अपनाई गई तकनीक यथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग / ऑर्टिफिशियल जल रिचार्ज के आधार पर भू–जल निकाले जाने की अनुमति सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान है। अतः उद्योग को रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।

- **रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था** – उद्योग परिसर में वर्षा के पानी का कुल रनऑफ 8,337 घनमीटर प्रतिवर्ष है। वर्तमान में रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के अंतर्गत 2 नग रिचार्ज स्ट्रक्चर (लंबाई 3 मीटर, चौड़ाई 2 मीटर, गहराई 3.5 मीटर) निर्मित किया गया है। क्षमता विस्तार के तहत् रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के अंतर्गत अतिरिक्त 3 नग रिचार्ज स्ट्रक्चर (लंबाई 3 मीटर, चौड़ाई 2 मीटर, गहराई 3.5 मीटर) निर्मित किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था पश्चात् परिसर के पूर्ण रनऑफ को रिचार्ज किया जा सके तथा सभी रिचार्ज स्ट्रक्चर्स इस प्रकार निर्मित किए जाए कि इनमें समान मात्रा में वर्षा जल का बहाव हो सके।

9. **विद्युत आपूर्ति स्त्रोत** – परियोजना हेतु कुल 15 मेगावॉट विद्युत की आवश्यकता होगी, जिसकी जिंदल स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड द्वारा किया जाता है। वैकल्पिक व्यवस्था हेतु 4 नग 125 के.व्ही.ए. डी.जी. सेट का उपयोग किया जाएगा। डी.जी. सेट को एकॉस्टिक इंक्लोजर में स्थापित किया जाएगा।

10. **वृक्षारोपण संबंधी जानकारी** – वर्तमान में हरित पट्टिका के विकास हेतु कुल क्षेत्रफल के 0.81 हेक्टेयर (34 प्रतिशत) क्षेत्र में 2,200 नग पौधे रोपित किये गये है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत हरित पट्टिका के विकास हेतु कुल क्षेत्रफल के 9,532 वर्गमीटर (39.88 प्रतिशत) क्षेत्र में पौधे रोपित किया जाना प्रस्तावित है। समिति का मत है कि वृक्षारोपण (कुल क्षेत्रफल का कम से कम 50 प्रतिशत क्षेत्र) हेतु पौधों, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों तक सुनिश्चित करते हुये मृत पौधों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाना आवश्यक है। साथ ही ओपन एरिया में भी हरियाली निर्माण किया जाना आवश्यक है।

11. **ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण** :–

i. **जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी** – मॉनिटरिंग कार्य अक्टूबर 2020 से दिसम्बर 2020 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 8 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर भू–जल गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 5 स्थानों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 8 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

ii. **मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पीएम, एसओ$_2$, एनओ$_2$ का सान्द्रण लेवलः–**

Concentration level (µg/m^3) of criteria pollutants			
Criteria Pollutants	**Minimum (µg/m^3)**	**Maximum (µg/m^3)**	**CPCB Standard (µg/m^3)**
$PM_{2.5}$	16.7	42.5	60
PM_{10}	42.2	89	100
SO_2	8.9	22.5	80
NO_2	15.9	30.8	80

iii. **परियोजना स्थल के आसपास जल स्त्रोतों की गुणवत्ताः–** ई.आई.ए. के Chapter-3 Description of environment में दर्शाये गये टेबल अनुसार क्लोराइडस, फ्लोराईट, नाइट्रेट्स, सल्फर, कार्बोनेट्स, आर्सेनिक, मर्करी, कैडमियम एवं अन्य रसायनिक तत्वों का सान्द्रण लेवल भारतीय मानक से कम है।

iv. **परिवेशीय ध्वनि स्तरः–**

Noise level - dB (A)			
Equivalent Noise level	**Minimum dB (A)**	**Maximum dB (A)**	**CPCB Standard dB (A)**
Day L_{eq}	47.6	62.3	75
Night L_{eq}	37.4	53.4	70

जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से कम है।

v. **पी.सी.यू. की गणनाः–** भारी वाहनों / मल्टीएक्शल हैवी वाहनों को समाहित करते हुये ट्रैफिक अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार वर्तमान में 4,326 पी.सी.यू. प्रतिदिन एवं व्ही/सी अनुपात (V/C ratio) 0.28 है। प्रस्तावित परियोजना उपरांत 330 पी.सी.यू. की वृद्धि होगी। तत्पश्चात् कुल 4652 पी.सी.यू. प्रतिदिन एवं व्ही/सी अनुपात (V/C ratio) 0.31 होगी। विस्तार के उपरांत भी रॉ–मटेरियल / प्रोडक्ट्स के परिवहन

हेतु सड़क मार्ग की लोड कैरिंग क्षमता निर्धारित मानक (Very Good) के भीतर है।

12. **वन्यप्राणी संरक्षण योजना** – 10 किलोमीटर की परिधि में हाथियों का आवागमन होना पाये जाने के कारण आवेदक संस्थान द्वारा क्षेत्र की वन्य प्राणी संरक्षण योजना तैयार कर, विधिवत् सक्षम प्राधिकारी (प्रधान मुख्य वन संरक्षक(व.प्रा.) सह मुख्य वन्यप्राणी) के अनुमोदन उपरांत प्रस्तुत किया जाए। वर्तमान में परियोजना प्रस्तावक द्वारा बायोलॉजिकल कन्सर्वेशन प्लान प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार वन्य प्राणी संरक्षण व्यवस्था एवं जन जागरूकता कार्यक्रम हेतु रूपये 8 लाख का प्लान प्रस्तुत किया गया है। इस संबंध में समिति का मत है कि वन्यप्राणीयों के संरक्षण हेतु प्रथम पांच वर्षीय योजना प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। जो कि प्रत्येक पांच वर्ष में उद्योग की आयु तक पुनःरीक्षित कर लागू की जाती रहेगी। समिति का मत है कि वन क्षेत्र के समीप उद्योग स्थापना से ईको सिस्टम को जितना सतत् आघात लगता है, उसकी भरपाई नहीं की जा सकती फिर भी प्रतिवर्ष प्रस्तावित राशि, कुल प्रोजेक्ट लागत को दृष्टिगत रखते हुये वन्यप्राणी संरक्षण कार्यों की आवश्यकता के अनुरूप हो। प्रस्तावित लौह उद्योग आरक्षित एवं संरक्षित वनों से घिरा हुआ है और यह वन, हाथियों तथा अन्य वन्य प्राणीयों के स्थायी आश्रय एवं रहवास स्थल है, जहां सदैव वन्यप्राणी आश्रय पाते हैं। किसी उद्योग की आयु कम से कम 30 वर्ष मानी गई है। इससे अधिक भी हो सकती है। यह उद्योग 24 घंटे और वर्षभर कार्यरत रहेगा। इसके फलस्वरूप पर्यावरण पर प्रभाव भी सतत् बना रहेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रारंभिक चरण में 5 वर्षों की वन्यप्राणी संरक्षण योजना तैयार कर प्रस्तुत की गई, उसके पश्चात् उद्योग की आयु (30 वर्ष) तक प्रत्येक 5 वर्ष में "पुनःरीक्षित वन्यप्राणी संरक्षण योजना" तैयार कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। ताकि वन्य प्राणीयों के रहवास वनों को, उद्योग के मिट्टी, जल, वायु, ध्वनि एवं प्रकाश के प्रदूषण जनित प्रतिकूल प्रभावों से एवं उद्योग जनित अत्यधिक जैविक दबाव से संरक्षित किया जा सके। उद्योग जनित तापक्रम बढ़ने से जंगलों में आग लगने की घटनायें भी होती है।

वन्यप्राणीयों की समुचित सुरक्षा, संरक्षण, प्रबंधन एवं उनके रहवास का संरक्षण एवं प्रबंधन एक बार (one time) किये जाने वाला कार्य नहीं है और न ही यह केवल 5 वर्ष का कार्य है। बल्कि यह सतत् किये जाने वाले कार्य है और जब वन्यप्राणीयों का स्थायी रहवास औद्योगिक प्रदूषण से सतत् प्रभावित हो रहा हो तो और अधिक गहन वन्यजीव संरक्षण एवं प्रबंधन (Intensive Wildlife Conservation and Management) की सतत् आवश्यकता होती है। इसी तरह प्रदूषित वातावरण में उनके रहवास की भी गहन संरक्षण एवं प्रबंधन (Intensive Habitat Protection, Conservation & Management Plan) योजना की सतत् आवश्यकता होती है।

दीर्घ अवधि की वन्यप्राणी संरक्षण योजना के अभाव में दीर्घ अवधि की पर्यावरणीय स्वीकृति दिया जाना संभव नहीं होगा। प्रत्येक 5 वर्ष पूर्ण होने के एक वर्ष पूर्व आगामी 5 वर्षों के लिए "समुचित वन्यप्राणी संरक्षण प्रबंधन योजना" तैयार कर विधिवत् सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त कर संरक्षण योजना की राशि प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) एवं मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक, छत्तीसगढ़ से परामर्श उपरांत "राज्य कैम्पा मद (State CAMPA Fund)" में जमा की जाएगी। इस आशय का शपथ पत्र (Affidavit) परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत किया जाए। इसके पश्चात् ही आगामी कार्यवाही किया जाना संभव होगा।

13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है कि उनके प्रस्तावित औद्योगिक गतिविधियों से–

i. वन भूमि पट्टिका (Forest Land Scape) में किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न नहीं किया जावेगा।
ii. वन प्रबंधन एवं वन्य प्राणी प्रबंधन में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करेगा।
iii. कोई ऐसा कार्य नहीं करेगा जिससे स्थानीय ग्रामीणों की वन आधारित आजिविका प्रभावित होती हो।

14. लोक सुनवाई दिनांक 11/11/2021 प्रातः 11:00 बजे स्थान – बंजारी मंदिर के समीप का स्थल, ग्राम–तराईमल, तहसील–तमनार, जिला–रायगढ़ में संपन्न हुई। लोक सुनवाई दस्तावेज सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर के पत्र दिनांक 11/01/2022 द्वारा प्रेषित किया गया है।

15. उद्योग प्रबंधन द्वारा लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों एवं उनके निराकरण की दिशा में किये जाने वाले उपाय के संबंध में सारणीबद्ध प्रपत्र अंग्रेजी (tabular form in english) एवं जन सामान्य के सुविधानुसार सारणीबद्ध प्रपत्र हिन्दी (tabular form in hindi) में भी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

16. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई. आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
687	1%	6.87	Following activities at, **Village - Taraimal**	
			Eco Park Nirman	7.25
			Total	**7.25**

सी.ई.आर. के अंतर्गत "ईको पार्क निर्माण" के तहत् (आंवला, बड़ पीपल, नीम, आम, अर्जुन, बेल आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 300 नग पौधों के लिए राशि 75,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 1,60,000 रूपये, रख–रखाव के लिए राशि 4,90,000 रूपये, इस प्रकार कुल राशि 7,25,000 रूपये आगामी 3 वर्षों हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम तराईमल के अंतर्गत शासकीय भूमि (खसरा क्रमांक 37/2, क्षेत्रफल 5.808 हेक्टेयर में से 1 एकड़) के संबंध में उक्त सी.ई.आर. के अंतर्गत "ईको पार्क" के कार्य हेतु ग्राम पंचायत तराईमल द्वारा दिनांक 28/09/2022 को जारी अनापत्ति प्रमाण की प्रति प्रस्तुत की गई है।

समिति का मत है कि सी.ई.आर. का विस्तृत वर्षवार प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है, ताकि रोपित पौधों की सफलता सुनिश्चित हो सके।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. पूर्ण ले–आउट प्लान के.एम.एल. फाईल सहित प्रस्तुत किया जाए।
2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित शर्तों का पालन पूर्ण कर जियोटैग फोटोग्राफ्स (Geotag photographs) सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
3. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से पूर्व में जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
4. रॉ–मटेरियल का स्त्रोत प्रस्तुत किया जाए।
5. सम्मति प्राप्त स्थापित क्षमता से उत्पादन की दशा में एवं क्षमता विस्तार उपरांत उत्पादन की दशा में कुल प्रदूषण भार की गणना कर (जल उपयोग की मात्रा, दूषित जल की मात्रा / गुणवत्ता, प्रदूषकों के उत्सर्जन की मात्रा एवं उत्पन्न ठोस अपशिष्टों की मात्रा) प्रस्तुत की जाए।
6. स्थापित इकाई के उत्पादन में लगभग 3 गुणा क्षमता विस्तार किया जाना प्रस्तावित है। किन्तु परियोजना प्रस्तावक द्वारा जल उपभोग हेतु स्थापित इकाई से लगभग 7 गुणा जल का उपयोग किया जाना प्रस्तावित किया गया है। अतः उक्त के संबंध में कारण सहित स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाए।
7. वृक्षारोपण हेतु वर्तमान में स्थापित वृक्षारोपण क्षेत्र एवं प्रस्तावित वृक्षारोपण क्षेत्र (कुल क्षेत्रफल का कम से कम 50 प्रतिशत क्षेत्र) को ले–आउट प्लान में दर्शाते हुये के.एम.एल. फाईल सहित प्रस्तुत किया जाए। साथ ही उद्योग परिसर के भीतर वृक्षारोपण हेतु पौधों, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों तक सुनिश्चित करते हुये मृत पौधों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किये जाने तथा ओपन एरिया में भी हरियाली निर्माण करने घटकवार एवं समयवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाए।
8. वन्य प्राणी संरक्षण हेतु प्रथम 5 वर्षीय विस्तृत योजना प्रस्तुत की जाए। वन क्षेत्र के समीप उद्योग स्थापना से ईको सिस्टम को जितना सतत् आघात लगता है, उसकी भरपाई नहीं की जा सकती फिर भी प्रथम 5 वर्षों हेतु यह राशि कुल प्रोजेक्ट लागत को दृष्टिगत रखते हुये वन्यप्राणी संरक्षण कार्यो की आवश्यकता के अनुरूप हो। अतः इस संबंध में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी एवं जैवविविधता संरक्षण) सह मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर अटल नगर से पुनःरीक्षित/जानकारी प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
9. उद्योग की आयु (Life of Industry) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत किया जाए तथा इस आशय का शपथ पत्र (Affidavit) प्रस्तुत करे कि परियोजना प्रस्तावक उद्योग की आयु तक वन्यप्राणी संरक्षण योजना प्रत्येक 5 वर्ष में सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित कराकर प्रस्तुत करेंगे तथा निर्धारित राशि "राज्य कैम्पा मद (State CAMPA Fund)" में जमा करेगें।
10. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया जावे कि उनके प्रस्तावित औद्योगिक गतिविधियों से –
    i. वन भूमि पट्टिका (Forest Land Scape) में किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न नहीं किया जावेगा।
    ii. वन प्रबंधन एवं वन्य प्राणी प्रबंधन में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करेगा।
    iii. कोई ऐसा कार्य नहीं करेगा जिससे स्थानीय ग्रामीणों की वन आधारित आजिविका प्रभावित होती हो।

11. विद्यमान फ्लोरा (Flora) एवं फौना (Fauna) के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रस्तुत किया जाए। साथ ही प्रदूषण भार का जैव–विविधता पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाए।

12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा फिनॉलिक वॉटर का पूर्ण निष्पादन बताये गये विधि से किये जाने बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए। साथ ही प्रक्रिया के अंत में जो फिनॉलिक वॉटर अवशेष के रूप में उत्पन्न होगा उसे परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध और सीमापार संचलन) अधिनियम, 2016 के अंतर्गत निष्पादित किये जाने बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए।

13. उद्योग प्रबंधन द्वारा लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों एवं उनके निराकरण की दिशा में किये जाने वाले उपाय के संबंध में सारणीबद्ध प्रपत्र अंग्रेजी (tabular form in english) एवं जन सामान्य के सुविधानुसार सारणीबद्ध प्रपत्र हिन्दी (tabular form in hindi) में भी प्रस्तुत किया जाए।

14. अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्र के संबंध में अधिसूचना की प्रति प्रस्तुत किया जाए।

15. जनसुनवाई के दौरान विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्रामीणों के समक्ष दिये गये आश्वासन को पूरा करने हेतु शपथ पत्र (Notarized Affidavit) प्रस्तुत किया जाए।

16. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized Affidavit) प्रस्तुत किया जाए।

17. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का वचन पत्र प्रस्तुत किया जाए कि उनके विरूद्ध इस परियोजना से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

18. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का नोटरी से सत्यापित शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

19. सी.ई.आर. का विस्तृत वर्षवार प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए। साथ ही छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी एवं जैवविविधता संरक्षण) सह मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर अटल नगर को पत्र लेख किया जाए।

4. मेसर्स खरकेना डोलोमाईट माईन (प्रो.–श्री विनोद कुमार अग्रवाल), ग्राम–खरकेना, तहसील–तखतपुर, जिला–बिलासपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2065)

ऑनलाईन आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 52187/ 2020, दिनांक 08/03/2020 द्वारा टी.ओ.आर हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 77640/ 2020,

दिनांक 03/06/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

प्रस्ताव का विवरण – यह क्षमता विस्तार का प्रकरण है। यह पूर्व से संचालित डोलोमाईट (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–खरकेना, तहसील–तखतपुर, जिला–बिलासपुर स्थित खसरा क्रमांक 1086, 1088, 1090, 1091, 1092, 1094, 1081/2, 1085/1, 1085/2, 1078, 1079, 1080, 1073/2, 1077/1, 1077/2, 1077/3, 1076, 1089 एवं 1087, कुल क्षेत्रफल–5.7 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–45,000 टन प्रतिवर्ष से 70,000.04 टन प्रतिवर्ष है।

पूर्व में एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 26/08/2020 द्वारा प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) हेतु टी.ओ.आर. जारी किया गया है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 20/09/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 427वीं बैठक दिनांक 30/09/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री विनोद कुमार अग्रवाल, प्रोपराईटर एवं पर्यावरणीय सलाहकार के रूप में मेसर्स पी एण्ड एम सॉल्युशन, नोएडा, उत्तरप्रदेश की ओर से श्री राहुल कुमार उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**

   i. पूर्व में डोलोमाईट खदान खसरा क्रमांक 1086, 1088, 1090, 1091, 1092, 1094, 1081/2, 1085/1, 1085/2, 1078, 1079, 1080, 1073/2, 1077/1, 1077/2, 1077/3, 1076, 1089 एवं 1087, कुल क्षेत्रफल – 5.708 हेक्टेयर, क्षमता – 45,000 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ द्वारा दिनांक 10/10/2009 को जारी की गई।

   ii. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।

   iii. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 1170/ख.लि./न.क्र./2019 बिलासपुर, दिनांक 17/10/2019 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:–

वर्ष	उत्पादन (टन)	वर्ष	उत्पादन (टन)
2009–2010	40,240	2014–2015	44,780
2010–2011	44,850	2015–2016	44,800
2011–2012	44,960	2016–2017	44,930
2012–2013	37,400	2017–2018	44,280
2013–2014	44,800	2018–2019	44,900

समिति का मत है कि दिनांक 01/04/2019 से अद्यतन स्थिति तक किये गये उत्खनन की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. **एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर** के ज्ञापन दिनांक 28/10/2020 द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत की गई है, जिसमें शर्त क्रमांक VII, VIII, XVII, XXII एवं XXXI का आंशिक पालन होना बताया गया है। उक्त के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त शर्तों के पालन हेतु निम्न तथ्य प्रस्तुत किये हैः–

Condition No.	Condition	Reply
VII & VIII	IRO Nagpur did not received any periodic monitoring report earlier to site visit.	At that time we are not aware of the condition but now we are submitting compliance report on regular basis.
XVII	During the visit green belt was not upto the mark around the mine boundary.	We had planted 50 trees in this monsoon season due to corona the plant was not maintained in proper condition.
XXII	Project proponent has not established environmental monitoring cell. Only mines manager is looking at the Environmental parameters and its management cell.	Now we had appointed third party monitoring lab and consultant along with mines manager and one employee to look into the environment parameters.
XXXI	Till the site visit no half yearly report on the status of implementation of the stipulated conditions, monitoring data along with statistical interpretation and environment safeguards was submitted to IRO Nagpur.	We are submitting compliance report now in regular basis earlier we are not aware of that.

समिति का मत है कि उक्त के संबंध में परियोजना प्रस्तावक से निम्नानुसार जानकारी मंगाया जाना आवश्यक हैः–

i. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में वृक्षारोपण हेतु निहित शर्तों के पालनार्थ खदान क्षेत्र में वृक्षारोपण कर जियोटैग फोटोग्राफ्स (Geotag photographs) सहित जानकारी मंगाया जाना आवश्यक है।

ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा environmental monitoring हेतु किस कन्सलटेंसी से कराया जाना है, इस संबंध में जानकारी मंगाया जाना आवश्यक है।

iii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के पालनार्थ में की गई कार्यवाही हेतु एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़/ एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर/छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल में जमा की गई प्रतिवेदन (self-

compliance report) की पाउती (receipt) की प्रति मंगाया जाना आवश्यक है।

3. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत खरकेना का दिनांक 27/09/2015 का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि ग्राम पंचायत खरकेना के सहमति पत्र में ग्राम पंचायत को कोई आपत्ति नहीं होने का कोई उल्लेख नहीं है। अतः ग्राम पंचायत खरकेना के सहमति पत्र में ग्राम पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है का उल्लेख करते हुये अनापत्ति प्रमाण पत्र मंगाया जाना आवश्यक है।

4. **उत्खनन योजना** – मॉडिफिकेशन इन क्वारी प्लान एलांग विथ क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 4664/माईनिंग–2/क्यू.पी./एफ.नं. 48/2015 नया रायपुर, दिनांक 03/11/2016 द्वारा अनुमोदित है।

5. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 568/ख.लि./न.क्र/2019 बिलासपुर, दिनांक 03/09/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 3 खदानें, कुल क्षेत्रफल 16.308 हेक्टेयर है।

6. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला–बिलासपुर से जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, पुल, नदी, रेल लाईन, अस्पताल, स्कूल, एनीकट बांध एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नही है अथवा नहीं ? के संबंध में जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

7. **लीज का विवरण** – लीज श्री विनोद कुमार अग्रवाल के नाम पर है, लीज डीड 20 वर्षों अर्थात् दिनांक 29/11/1996 से 28/11/2016 तक की अवधि हेतु थी। तत्पश्चात् लीज डीड 30 वर्षों अर्थात् दिनांक 29/11/2016 से 28/11/2046 तक की अवधि हेतु विस्तारित की गई है।

8. **भू–स्वामित्व** – भूमि खसरा क्रमांक 1087 शासकीय भूमि है। खसरा क्रमांक 1086, 1088, 1090, 1091, 1092, 1094, 1081/2, 1085/1, 1077/3, 1076, 1089, 1085/2, 1078, 1079, 1080 एवं 1077/1 आवेदक, खसरा क्रमांक 1073/2 एवं 1077/2 श्री नरेश कुमार अग्रवाल के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामी का सहमति पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

9. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

10. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज क्षेत्र से निकटतम वन क्षेत्र की दूरी का उल्लेख करते हुये वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन किया गया है।

11. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–खरकेना 0.5 कि.मी., स्कूल ग्राम–मुढ़पार 1.3 कि.मी. एवं अस्पताल ग्राम–धौराभाठा 1.5 कि.मी. दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1.6 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 30 कि.मी. दूर है। मनियारी नदी 1.8 कि.मी. दूर है।

12. **पारिस्थितिकीय / जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

13. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 44,69,025 टन एवं माईनेबल रिवर्ज 30,38,954 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 9,905.76 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 34 मीटर है। ऊपरी मिट्टी की मोटाई 3 मीटर से 6 मीटर है तथा कुल मात्रा 88,110 घनमीटर थी, जिसे पूर्व में ही उत्खनित किया जा चुका है। वर्तमान में लीज क्षेत्र के भीतर ऊपरी मिट्टी अवस्थित नहीं है। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 44 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	70,000.04
द्वितीय	70,000.04
तृतीय	70,000.04
चर्तुथ	70,000.04
पंचम	70,000.04

14. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 6 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति बोरवेल के माध्यम से की जाती है। इस बाबत् सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी की अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।

15. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 1,100 नग वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के भीतर पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के तहत् निम्नानुसार कार्य प्रस्तावित है:–

विवरण		प्रथम (रूपये)	द्वितीय (रूपये)	तृतीय (रूपये)	चतुर्थ (रूपये)	पंचम (रूपये)
खदान के बाउण्ड्री एवं पहुँच मार्ग के दोनों तरफ (1,100 नग) वृक्षारोपण हेतु	वृक्षारोपण (90 प्रतिशत जीवन दर) हेतु राशि	83,600	8,360	8,360	8,360	8,360
	फेंसिंग हेतु राशि	3,08,200	–	–	–	–
	खाद हेतु राशि	8,250	840	840	840	840
	सिंचाई एवं रख– रखाव हेतु राशि	2,66,000	2,16,000	2,16,000	2,16,000	2,16,000
कुल राशि = 15,66,850		**6,66,050**	**2,25,200**	**2,25,200**	**2,25,200**	**2,25,200**

16. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का कुल क्षेत्रफल 9,905.76 वर्गमीटर क्षेत्र

है, जिसमें से 576.92 वर्गमीटर क्षेत्रफल 4 मीटर की गहराई तक उत्खनित है, जिसका उल्लेख अनुमोदित माईनिंग प्लान में किया गया है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का घोर उल्लघंन है। अतः परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

17. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई है। शर्त कमांक viii (i) के अनुसारः–

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

18. **ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण** :–

i. **जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी** – मॉनिटरिंग कार्य अक्टूबर 2020 से दिसम्बर 2020 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 9 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 6 स्थानों पर भू–जल गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 2 स्थलों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 8 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

ii. **मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पीएम, एसओ$_2$, एनओ$_2$ का सान्द्रण लेवलः–**

Concentration level (µg/m^3) of criteria pollutants			
Criteria Pollutants	**Minimum (µg/m^3)**	**Maximum (µg/m^3)**	**CPCB Standard (µg/m^3)**
$PM_{2.5}$	16.45	37.23	60
PM_{10}	23.65	51.23	100
SO_2	10.36	34.36	80
NO_2	9.44	28.33	80

iii. **परियोजना स्थल के आसपास जल स्त्रोतों की गुणवत्ताः**– ई.आई.ए. के Chapter-3 Description of environment में दर्शाये गये टेबल अनुसार क्लोराइडस, फ्लोराईट, नाइट्रेट्स, सल्फर, कार्बोनेट्स, आर्सेनिक, लेड एवं अन्य रसायनिक तत्वों का सान्द्रण लेवल भारतीय मानक से कम है।

iv. **परिवेशीय ध्वनि स्तरः–**

Noise level - dB (A)			
Equivalent Noise level	**Minimum dB (A)**	**Maximum dB (A)**	**CPCB Standard dB (A)**
Day L_{eq}	41.24	69.23	75
Night L_{eq}	30.83	52.38	70

जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से कम है।

v. **पी.सी.यू. की गणना:–** भारी वाहनों / मल्टीएक्शल हैवी वाहनों को समाहित करते हुये ट्रैफिक अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार वर्तमान में 51 पी.सी.यू. प्रतिघंटा एवं व्ही/सी अनुपात (V/C ratio) 0.04 है। प्रस्तावित परियोजना उपरांत 18 पी.सी.यू. की वृद्धि होगी। तत्पश्चात् कुल 69 पी.सी.यू. प्रतिघंटा एवं व्ही/सी अनुपात (V/C ratio) 0.06 होगी। विस्तार के उपरांत भी रॉ–मटेरियल / प्रोडक्ट्स के परिवहन हेतु सड़क मार्ग की लोड कैरिंग क्षमता निर्धारित मानक (0.0-0.2) के भीतर है जो अति उत्कृष्ट है।

vi. **जी.एल.सी. की गणना –**

Contributed Concentration Levels Particulate Matter (AMBIENT INCLUDED MINING ACTIVITY) For PM_{10}

S. No.	Activity in the mine	Maximum Baseline Concentration GLCs (µg/m³) at core area	Calculated GLCs (µg/m³)	Resultant Concentration GLCs (µg/m³)	Limit (Industrial, Rural and other area) (µg/m³)
1.	Overall Activities with control ROM		11.0	78.15	
2.	Overall Activities with uncontrol ROM	67.15	30.0	97.15	100
3.	ROM Blasting		1.1	68.25	

19. लोक सुनवाई दिनांक 08/12/2021 दोपहर 12:00 बजे स्थान – ग्राम–खरकेना के ग्राम पंचायत भवन मैदान में तहसील–तखतपुर, जिला–बिलासपुर में संपन्न हुई। लोक सुनवाई दस्तावेज सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर के पत्र दिनांक 15/02/2022 द्वारा प्रेषित किया गया है।

20. **जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये हैं:–**

i. खदान में कटीले तार की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि मवेशी अंदर ना जा सके।

ii. गांव में बहुत से युवा बेरोजगार है उनको खदान में नियमित तौर पर रोजगार प्रदान करें।

iii. खदान खोलने से पहले इस जगह पर छोटे झाड़ के जंगल थे, अब वह विरान हो गए हैं अगर इसी तरह से खनन कार्य होगा तो पर्यावरण की सुरक्षा नहीं हो पाएगी। वृक्षारोपण अधिक से अधिक करना चाहिए।

iv. गांव में भू–जल स्तर बहुत नीचे जा रहा है जिससे गांव के लोगों के सामने पेयजल एवं निस्तारी की समस्या उत्पन्न हो रही है।

लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावक की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि/कंसलटेंट का कथन निम्नानुसार है:–

i. खदान को चारों तरफ से कटीले तारों से घेरा जाएगा एवं चारों तरफ वृक्षारोपण किया जाएगा जिससे मवेशी अंदर न जा सके।

ii. खदान में गांव के स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी तथा गांव के विकास के लिए पूरा सहयोग किया जाएगा।

iii. पर्यावरण संरक्षण सुरक्षा के लिए खदान के चारों ओर अधिक से अधिक मात्रा में वृक्षारोपण किया जाएगा।

iv. खदान से जो जल का निकासी होगा उस जल को गांव वालों के उपयोग के लिए गांव के किसी एक बांध में विस्तृत कर दिया जाएगा जिससे गांव के विकास कार्यों में काम आ जाएगा एवं गांव में जल का स्त्रोत बना रहेगा।

21. **क्लस्टर हेतु कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट एवं कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता हेतु उपयुक्त गणना कर प्रस्तुत नहीं किया गया है।

22. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई. आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
81.99	2%	1.64	Following activities at Nearby **Village-Kharkena**	
			Plantation in both side of Village Kharkena road	13.76
			Total	**13.76**

23. सी.ई.आर. के अंतर्गत सड़क मार्ग के दोनों ओर वृक्षारोपण हेतु (आम एवं जामुन के 4–5 फीट के पौधे) प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 400 नग पौधों के लिए राशि 30,400 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 2,00,000 रूपये, खाद के लिए राशि 3,000 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 2,66,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 4,99,400 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 8,77,360 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत खरकेना के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 642/1, क्षेत्रफल 4.092 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि प्रस्तुत ग्राम पंचायत खरकेना के सहमति पत्र में ग्राम पंचायत को कोई आपत्ति नहीं होने का उल्लेख नहीं किया गया है। अतः ग्राम पंचायत खरकेना के सहमति पत्र में ग्राम पंचायत को कोई आपत्ति नहीं होने का उल्लेख करते हुये अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

24. समिति के संज्ञान में यह तथ्य आया कि प्रस्तुत माईनिंग प्लान में उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 34 मीटर है। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन के दौरान 30 मीटर की गहराई के बाद ग्राउण्ड वॉटर टेबल आने पर खनिज विभाग एवं संबंधित विभाग से अनुमति उपरांत ही उत्खनन कार्य किया जाएगा अन्यथा नहीं? समिति का मत है कि सामान्य स्थिति में 30 मीटर गहराई के पश्चात् उत्खनन प्रतिबंधित रहेगा। इस बाबत् परियोजना प्रस्तावक से शपथ पत्र मंगाया जाना आवश्यक है।

25. जनसुनवाई के दौरान उठाये गये सुझाव/विचार "गांव में भू–जल स्तर बहुत नीचे जा रहा है जिससे गांव के लोगों के सामने पेयजल एवं निस्तारी की समस्या उत्पन्न हो रही है।" के संबंध में समिति का मत है कि उक्त तथ्यात्मक प्रतिवेदन प्राप्त करने हेतु जल संसाधन विभाग/संबंधित विभाग को लेख किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. पूर्व में जारी अतिरिक्त टी.ओ.आर. के जिन बिन्दुओं के पालन में सहमति (Agreed) व्यक्त की गई है। इस संबंध में शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में वृक्षारोपण हेतु निहित शर्तों के पालनार्थ खदान क्षेत्र में वृक्षारोपण कर जियोटैग फोटोग्राफ्स (Geotag photographs) सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा environmental monitoring हेतु किस कन्सलटेंसी से कराया जाना है, इस संबंध में विस्तृत जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
4. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से मंगाये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।
5. दिनांक 01/04/2019 से अद्यतन स्थिति तक किये गये उत्खनन की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाए।
6. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला–बिलासपुर से जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, पुल, नदी, रेल लाईन, अस्पताल, स्कूल, एनीकट बांध एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नही है अथवा नहीं? के संबंध में जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
7. उत्खनन हेतु भूमि स्वामी का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाए।
8. लीज क्षेत्र से निकटतम वन क्षेत्र की दूरी का उल्लेख करते हुये वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
9. प्रस्तुत ग्राम पंचायत खरकेना के सहमति पत्र में ग्राम पंचायत को कोई आपत्ति नहीं होने का कोई उल्लेख नहीं है। अतः ग्राम पंचायत खरकेना के सहमति पत्र में ग्राम पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है का उल्लेख करते हुये अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
10. प्रस्तुत माईनिंग प्लान में उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 34 मीटर है। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन के दौरान 30 मीटर की गहराई के

बाद ग्राउण्ड वॉटर टेबल आने पर खनिज विभाग एवं संबंधित विभाग से अनुमति उपरांत ही उत्खनन कार्य किया जाएगा अन्यथा नहीं? समिति का मत है कि सामान्य स्थिति में 30 मीटर गहराई के पश्चात् उत्खनन प्रतिबंधित रहेगा। इस बाबत् परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

11. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को पत्र लेख किया जाए।

12. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन पाये जाने पर नियमानुसार आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।

13. कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट एवं कॉमन इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता हेतु उपयुक्त गणना कर प्रस्तुत किया जाए।

14. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तो के अनुरूप निर्धारित शर्तानुसार किये गये वृक्षारोपण का संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख किया जाकर फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

15. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

16. कंट्रोल ब्लास्टिंग किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

17. जनसुनवाई के दौरान उठाये गये सुझाव/विचार "गांव में भू–जल स्तर बहुत नीचे जा रहा है जिससे गांव के लोगों के सामने पेयजल एवं निस्तारी की समस्या उत्पन्न हो रही है।" के संबंध में समिति का मत है कि उक्त तथ्यात्मक प्रतिवेदन प्राप्त करने हेतु जल संसाधन विभाग को लेख किया जाए।

18. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनरल्स कनसेशन नियम (Minerals Concession Rule) के तहत् बाउण्ड्री पिल्लर्स द्वारा सीमाकंन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

19. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

20. जनसुनवाई के दौरान विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्रामीणों के समक्ष दिये गये आश्वासन को पूरा करने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

21. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का वचन पत्र प्रस्तुत किया जाए कि उनके विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

22. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का नोटरी से सत्यापित शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए। साथ ही एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर, संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर एवं छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर तथा जल संसाधन विभाग को पत्र लेख किया जाए।

5. मेसर्स नरदहा लाईम स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री संदीप वर्मा), ग्राम–नरदहा, तहसील–आरंग, जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2060)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 77619/2022, दिनांक 01/06/2022 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–नरदहा, तहसील–आंरग, जिला–रायपुर स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 765, कुल क्षेत्रफल–1.05 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–38,755 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 20/09/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 427वीं बैठक दिनांक 30/09/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री संदीप वर्मा, प्रोपराईर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गईः–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरणः**– इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन एवं क्रशर की स्थापना के संबंध में ग्राम पंचायत नरदहा का दिनांक 06/10/2012 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान एलांग विथ क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त–संचालक (ख.प्र.), संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्रमांक 1127/खनि 02/मा.प्ल.अनुमोदन/न.क्र. 04/2019(1) नवा रायपुर, दिनांक 11/03/2022 द्वारा अनुमोदित है।
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 158/ख.लि./तीन–6/2022 रायपुर, दिनांक 19/04/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 7 खदानें, क्षेत्रफल 15.562 हेक्टेयर है। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि उक्त प्रमाण पत्र जारी करने के उपरांत अन्य नवीन खदानों को एल.ओ.आई. जारी की गई है। समिति का मत है कि फाईनल ई.आई.ए.

रिपोर्ट के साथ अद्यतन स्थिति में संशोधित 500 मीटर का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 158/ख.लि./तीन–6/2022 रायपुर, दिनांक 19/04/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, एनीकट, बांध एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।

6. **भू–स्वामित्व** – भूमि पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 765 श्री हेमलाल वर्मा के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामी का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

7. **एल.ओ.आई. का विवरण** – एल.ओ.आई. श्री संदीप वर्मा के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 742/ख.लि./तीन–6/उ.प./2021 रायपुर, दिनांक 08/09/2021 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक थी। तत्पश्चात् एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्र. 5092/खनि 02/उ.प.–अनु.निष्पा./न.क्र.50/2017(3) नवा रायपुर, दिनांक 30/09/2022 द्वारा जारी की गई है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – लीज क्षेत्र से निकटतम वन क्षेत्र की दूरी का उल्लेख करते हुये वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–नरदहा 2.5 कि.मी., स्कूल ग्राम–दोंदे 3.5 कि.मी. एवं अस्पताल ग्राम–दोंदे 4 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 6.7 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 4.2 कि.मी. दूर है। नाला 50 मीटर दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 5,25,000 टन एवं माईनेबल रिजर्व 1,93,195 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 3,205 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जायेगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 21 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर है तथा कुल मात्रा 6,295 घनमीटर है। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 5 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है, जिसका क्षेत्रफल 1,000 वर्गमीटर है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	38,610
द्वितीय	38,610
तृतीय	38,610
चतुर्थ	38,610
पंचम	38,755

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 5 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति के संबंध में जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 692 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

16. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

    a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

    b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 158/ख.लि./तीन–6/2022 रायपुर, दिनांक 19/04/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 7 खदानें, क्षेत्रफल 15.562 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–नरदहा) का रकबा 1.05 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–नरदहा) को मिलाकर कुल रकबा 16.612 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–

    i. Project proponent shall inform SEIAA & S.E.A.C. Chhattisgarh before commencement of Baseline Data Generation and start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.

ii. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.

iii. Project proponent shall submit the Project cost breakup.

iv. Project proponent shall submit LOI extension copy.

v. Project proponent shall submit the NOC from forest department mentioning distance between mine lease boundary to forest boundary.

vi. Project proponent shall submit revised certificate regarding cluster of mines as defined in EIA notification from mining department and accordingly EIA study shall be carried out incorporating all the mines included in cluster.

vii. Project proponent shall submit the top soil management plan & incorporate the details in the EIA report.

viii. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.

ix. Project proponent shall submit the affidavit for controlled blasting & incorporate in the EIA report.

x. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.

xi. Project proponent shall submit an affidavit stating that no harm, no damage and no contamination shall be committed to nearby water bodies.

xii. Project proponent shall submit a Cumulative Environment Impact Assessment Study (Air, Water, Noise, Soil, Traffic etc) of the Industries located in the nearby area and Ecology of the buffer zone of study area and shall incorporate the same in the EIA report.

xiii. EIA study shall be at minimum 8 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.

xiv. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

xv. Project proponent shall undertake plantation (as far as possible fruit bearing species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall report to Authority regarding yearwise plantation. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.

xvi. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.

xvii. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.

xviii. Project proponent shall submit the details of pollution control arrangement in crusher.

xix. Project proponent shall submit the 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintainance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.

xx. Project proponent shall undertake plantation (as far as possible fruit bearing species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall report to Authority regarding yearwise plantation. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.

xxi. Project proponent shall submit CER proposals with details of preferably plantation works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintainance cost for atleast 5 years.

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

6. मेसर्स ए.टी. स्टोन (प्रो.– मोहम्मद आरीफ, बहनाकाड़ी लाईम स्टोन क्वारी), ग्राम–बहनाकाड़ी, तहसील–आरंग, जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2062)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 77656/2022, दिनांक 01/06/2022 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह क्षमता विस्तार का प्रकरण है। यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–बहनाकाड़ी, तहसील–आरंग, जिला–रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 498, 499, 500, 501, 502 एवं 503, कुल क्षेत्रफल–1.4 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता– 8,500 टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर क्षमता– 20,000 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 20/09/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 427वीं बैठक दिनांक 30/09/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्रीमती मलका सिद्दीकी, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**

   i. पूर्व में चूना पत्थर खदान खसरा क्रमांक 498, 499, 500, 501, 502 एवं 503, कुल क्षेत्रफल–1.4 हेक्टेयर, क्षमता–8,500 टन प्रतिवर्ष हेतु जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–रायपुर द्वारा पर्यावरणीय

स्वीकृति दिनांक 16/02/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से दिनांक 05/02/2020 तक की अवधि हेतु वैध थी।

ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तो के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की गई है। चुंकि यह क्षमता विस्तार का प्रकरण है। अतः समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

iii. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।

iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक/क./ख.लि./तीन–6/2022/1756 रायपुर, दिनांक 29/09/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार विगत वर्षो में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:–

वर्ष	उत्पादन (टन)
2017	66
2018	1,814
2019	1,001
2020	400
2021	निरंक

समिति का मत है कि दिनांक 01/01/2022 से अद्यतन स्थिति तक किये गये उत्खनन की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन एवं क्रशर की स्थापना के संबंध में ग्राम पंचायत बहनाकाड़ी का दिनांक 26/07/2009 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त–संचालक (ख.प्र.), संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्रमांक 1304/खनि 02/मा.प्ल.अनुमोदन/न.क्र.04/2019(2) नवा रायपुर, दिनांक 30/03/2022 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 138/ख.लि./तीन–6/2022 रायपुर, दिनांक 18/04/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 86 खदानें, क्षेत्रफल 174.397 हेक्टेयर है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 138/ख.लि./तीन–6/2022 रायपुर, दिनांक 18/04/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, एनीकट, बांध एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।

6. **भू–स्वामित्व** – भूमि संबंधी दस्तावेज (बी–1, पी–2) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

7. **लीज का विवरण** – लीज डीड मोहम्मद आरीफ के नाम पर है, लीज डीड 10 वर्षों अर्थात् दिनांक 06/02/2010 से 05/02/2020 तक की अवधि हेतु थी। तत्पश्चात् लीज डीड 20 वर्षों अर्थात् दिनांक 06/02/2020 से 05/02/2040 तक की अवधि हेतु विस्तारित की गई है।
8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – लीज क्षेत्र से निकटतम वन क्षेत्र की दूरी का उल्लेख करते हुये वन विभाग का अद्यतन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–बहनाकाडी 500 मीटर, स्कूल ग्राम–बहनाकाड़ी 500 मीटर एवं अस्पताल ग्राम–मंदिर हसौद 3.06 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 6.45 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 5.36 कि.मी. दूर है।
11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 9,57,663 टन, माईनेबल रिजर्व 1,51,749 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 4,296 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 30 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.25 मीटर है तथा कुल मात्रा 2,977 घनमीटर है एवं लेटेराईट मिट्टी की मोटाई 1.25 मीटर तथा कुल मात्रा 14,883 घनमीटर है। बेंच की ऊंचाई 5 मीटर एवं चौड़ाई 5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 7.58 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	20,000
द्वितीय	20,000
तृतीय	20,000
चतुर्थ	20,000
पंचम	20,000

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 5 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत द्वारा टैंकर के माध्यम से की जाती है। इस बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 1,074 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति द्वारा गूगल मैप से अवलोकन किये जाने पर पाया गया कि लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का कुल क्षेत्रफल 4,296 वर्गमीटर क्षेत्र है, जिसमें से कुछ भाग उत्खनित होना दृष्टिगत हो रहा है। अतः प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का उल्लघंन है। अतः परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है। साथ ही 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में किये गये उत्खनन की स्पष्ट जानकारी का उल्लेख करते हुए रिजर्व की गणना कर क्वारी प्लान में संशोधन किया जाना आवश्यक है।

16. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई है। शर्त क्रमांक VIII (i) के अनुसारः–

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तो के पालन में की गई कार्यवाही की एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर से पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
2. भूमि संबंधी दस्तावेज (बी–1, पी–2) प्रस्तुत किया जाए।
3. दिनांक 01/01/2022 से अद्यतन स्थिति तक किये गये उत्खनन की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाए।
4. लीज क्षेत्र से निकटतम वन क्षेत्र की दूरी का उल्लेख करते हुये वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
5. लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में किये गये उत्खनन की स्पष्ट जानकारी का उल्लेख करते हुए रिजर्व की गणना कर संशोधित क्वारी प्लान प्रस्तुत किया जाए।
6. माईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों बाबत् संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को पत्र लेख किया जाए।

7. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन पाये जाने पर नियमानुसार आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।

8. कंट्रोल ब्लास्टिंग किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए। साथ ही एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर, संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म तथा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को पत्र लेख किया जाए।

7. मेसर्स नकटी खपरी लाईम स्टोन क्वारी (प्रो.–श्री ताराचंद आहूजा) ग्राम–नकटी खपरी, तहसील–तिल्दा, जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2064)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 276033/2022, दिनांक 02/06/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–नकटी खपरी, तहसील–तिल्दा, जिला–रायपुर स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 290/18, कुल क्षेत्रफल–0.404 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 8,120 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 20/09/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 427वीं बैठक दिनांक 30/09/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री ताराचंद आहूजा, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**

   i. पूर्व में चूना पत्थर खदान खसरा क्रमांक 290/18, कुल क्षेत्रफल–1 एकड़ (0.404 हेक्टेयर), क्षमता–8,120 टन प्रतिवर्ष हेतु जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–रायपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 24/06/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से 5 वर्ष तक की अवधि हेतु वैध थी।

   परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18/01/2021 अनुसार:–

   "9A. Notwithstanding anything contained in this notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be

considered for the purpose of calculation of the period of validity of Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this notification in view of outbreak of Corona Virus(COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid."

उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक से दिनांक 23/06/2023 तक वैध होगी।

ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तो के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

iii. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।

iv. विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है। इस संबंध में प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की प्रमाणित जानकारी प्राप्त करने हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज अधिकारी, जिला–रायपुर को दिनांक 28/09/2022 को आवेदन किया गया है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत जलसो का दिनांक 25/07/2012 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान एण्ड क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनि.प्रशा.), जिला–रायपुर के पृ. ज्ञापन क्रमांक 3153(2)/ख.लि./तीन–6/उ.प. 42/2013 रायपुर, दिनांक 01/02/2017 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 1853/ख.लि./तीन–6/2022 रायपुर, दिनांक 02/03/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 1 खदान, क्षेत्रफल 1.86 हेक्टेयर है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 2114/ख.लि./तीन–6/2022 रायपुर, दिनांक 30/03/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, एनीकट, बांध एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है। तालाब एवं हाईटेंशन लाईन 200 मीटर की दूरी पर स्थित है।

6. **लीज का विवरण** – लीज श्री आलोक शर्मा के नाम पर थी। लीज डीड 10 वर्षों अर्थात् दिनांक 18/02/2014 से 17/02/2024 तक की अवधि हेतु वैध है। लीज का हस्तांतरण दिनांक 24/11/2018 को श्री ताराचंद आहूजा के नाम पर किया गया है।

7. **भू–स्वामित्व** – भूमि खसरा क्रमांक 290/18 श्रीमती सपना आहूजा के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामी का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वन मण्डलाधिकारी, वन मण्डल, जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक/व.त.अ./रा/1167 रायपुर, दिनांक 01/06/2022 से जारी प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की सीमा से 2 कि.मी. की दूरी पर है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–नकटी 500 मीटर, स्कूल ग्राम–तन्दवा 5.3 कि.मी. एवं अस्पताल बैकुंठ 2 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 3 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 28.8 कि.मी. दूर है। खारून नदी 18 कि.मी. एवं शिवनाथ नदी 20 कि.मी. दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 1,99,500 टन, माईनेबल रिजर्व 89,500 टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 85,025 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 1,800 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 22 मीटर है। ओवर बर्डन (मुरूम) की मोटाई 2 मीटर एवं मात्रा 3,850 घनमीटर है। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10.46 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है।

13. प्रस्तुत अनुमोदित क्वारी प्लान में वर्षवार प्रस्तावित मुरूम उत्खनन का उल्लेख है एवं 10 वर्षों तक औसत चूना पत्थर उत्खनन क्षमता – 8,125 टन प्रतिवर्ष (ROM) का उल्लेख है परंतु वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन योजना का विवरण उल्लेखित नहीं है। अतः समिति का मत है कि वर्षवार प्रस्तावित चूना पत्थर उत्खनन योजना का विवरण क्वारी प्लान में उल्लेख करते हुये प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

14. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 3 घनमीटर प्रतिदिन होती है। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि जल की आपूर्ति बोरवेल के माध्यम से किया जाएगा। इस बाबत् सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी की अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

15. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 288 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। समिति का मत है कि लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में वृक्षारोपण हेतु पौधों, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

16. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

17. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई. आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु उपयुक्त विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है। समिति का मत है कि "पवित्र वन" के तहत् (आंवला, बड़ पीपल, नीम, आम, अर्जुन, बेल आदि) ग्राम पंचायत के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरावार विवरण सहित) में वृक्षारोपण हेतु पौधों, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

18. प्रस्तुत अनुमोदित क्वारी प्लान में ओवर बर्डन (मुरूम) की मोटाई 2 मीटर एवं मात्रा 3,850 घनमीटर को सक्षम प्राधिकारी के अनुमति उपरांत विक्रय किये जाने का उल्लेख है। इस संबंध में समिति का मत है कि जनित ओवर बर्डन (मुरूम) को विक्रय नहीं किया जाएगा।

19. ऊपरी मिट्टी को भंडारित कर संरक्षित रखे जाने हेतु, मुरूम का दुरूपयोग न करने, विक्रय न करने एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किये जाने एवं इस मिट्टी का उपयोग पुनःभराव हेतु किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

20. ऊपरी मिट्टी (मुरूम) को लीज क्षेत्र के 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में 1 मीटर की ऊचाई तक रखने उपरांत शेष ऊपरी मिट्टी (मुरूम) को लीज क्षेत्र के समीप स्वयं की भूमि खसरा क्रमांक 290/19 रकबा 0.607 हेक्टेयर में 1 मीटर की ऊचाई तक भंडारित कर संरक्षित रखे जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

21. कंट्रोल ब्लास्टिंग का कार्य विस्फोटक लाईसेंस धारक द्वारा कराये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तो के पालन में की गई कार्यवाही की एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर से पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।

2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तो के अनुरूप निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण करते हुए पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख किया जाकर फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

3. विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की अद्यतन जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाए।

4. वर्षवार प्रस्तावित चूना पत्थर उत्खनन योजना का विवरण क्वारी प्लान में उल्लेख करते हुये प्रस्तुत किया जाए।

5. जल की आपूर्ति हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी की अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।

6. लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में वृक्षारोपण हेतु पौधों, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाए।

7. सी.ई.आर. का विस्तृत प्रस्ताव "पवित्र वन निर्माण" के तहत् (आंवला, बड़ पीपल, नीम, आम, अर्जुन, बेल आदि) ग्राम पंचायत के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरावार विवरण सहित) में वृक्षारोपण हेतु पौधों, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाए।

8. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनरल्स कनसेशन नियम (Minerals Concession Rule) के तहत् बाउण्ड्री पिल्लर्स द्वारा सीमाकंन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

10. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

11. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का वचन पत्र प्रस्तुत किया जाए कि उनके विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का नोटरी से सत्यापित शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए। साथ ही एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर को पत्र लेख किया जाए।

8. **मेसर्स शेर ब्रिक्स अर्थक्ले क्वारी एण्ड फिक्स चिमनी ब्रिक्स प्लांट (प्रो.– श्रीमती प्रीति शर्मा), ग्राम–शेर, तहसील व जिला–महासमुंद (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2068)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 276626/2022, दिनांक 04/06/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) खदान एवं फिक्स चिमनी ईंट उत्पादन इकाई है। खदान ग्राम–शेर, तहसील व जिला–महासमुंद स्थित खसरा क्रमांक 2209, 2211, 2212, 2243/1, 2246, 2247, 2248, 2249, 2267, 2268, 2269, 2270/1, 2270/2, 2271, 2272, 2273 एवं 2276, कुल क्षेत्रफल– 2.41 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 3,200 घनमीटर प्रतिवर्ष (ईंट उत्पादन क्षमता 32,00,000 नग) प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 20/09/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 427वीं बैठक दिनांक 30/09/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 30/09/2022 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

बैठक धन्यवाद ज्ञापन के साथ संपन्न हुई।

(कलदियुस तिर्की)
सदस्य सचिव
राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
छत्तीसगढ़

(डॉ. बी.पी. नोन्हारे)
अध्यक्ष
राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
छत्तीसगढ़